

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 4(47)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक:

27 APR 2023


—:आदेश:—

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों के निलम्बित राजसेवकों के मामलों का पुनरावलोकन करने हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(5)नविवि/II/2012 दिनांक 25.06.2012 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 31.01.2023 में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णयानुसार श्री सुनील मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को एतद्वारा निलम्बन से बहाल किया जाता है।

श्री मीणा को बहाली पश्चात् नगर विकास न्यास, बीकानेर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सुनील मीणा की निलम्बन अवधि का नियमितिकरण सक्षम न्यायालय में पारित निर्णय के अध्वधीन किया जायेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री सुनील मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय